

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

पकाशचन्द पिता शोभागमल मीणा निवासी कालाभाटा वगैरह
बनाम

तहसीलदार जहाजपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 217 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1397/527 कुल किता 01 रकबा 0.9551 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी हैं अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खालेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1397/527 कुल किता 01 रकबा 0.9551 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/ 217 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प.सं. 217 / 2024 अनवान प्रकाशचन्द पिता शोभागमल मीणा निवासी कालाभाटा, सीमा प्रकाश पत्नी प्रकाशचन्द मीणा निवासी कालाभाटा बनाम तहसीलदार जहाजपुर, किशन पुत्र नाथुलाल मीणा निवासी दूदावास, जगदीश पुत्र बजरंग मीणा निवासी दूदावास, मांगी पत्नी नाथुलाल मीणा निवासी दूदावास, रतन पुत्र नाथुलाल मीणा निवासी दूदावास, रामगोपाल पुत्र बजरंग मीणा निवासी दूदावास, सोजी पुत्र नाथुलाल मीणा निवासी दूदावास, आशा पत्नी चैन सिंह मीणा निवासी हनुमाननगर, केलाराम उत्तर कल्याण मीणा निवासी गाड़ोली, गंगादेवी पत्नी गंगाराम रेगर निवासी ऊंचा, मोहन पुत्र गंगाराम रेगर निवासी ऊंचा, बजरंगलाल पुत्र भेरुलाल मीणा निवासी ऊंचा, सरिता कुमारी पत्नी आनंद प्रकाश मीणा निवासी ऊंचा, रुकमा पत्नी जमाल मुसलमान निवासी देवली, शकील पुत्र जुम्बा मुसलमान निवाड़ी देवली, शबाना पुत्री जुम्बा मुसलमान निवाड़ी देवली, शौकत पुत्र जुम्बा मुसलमान निवाड़ी देवली वगैरह की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 1397/527 कुल कित्ता 01 रकबा 0.9551 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा